भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. †71

उत्तर देने की तारीख 14.09.2020

जनजातियों का विस्थापन

†71. डॉ. (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न निर्माण/विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस तरह की गतिविधियों के परिणामस्वरूप विस्थापित आदिवासियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (घ) : भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित भूमि के मामले में मुआवजा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधानों को निर्धारित करता है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) प्रावधान करता है कि "जेसा अनयथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों को कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।"

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 भी प्रावधान करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों अथवा विकास परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व तथा ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास करने से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायतों से उपयुक्त स्तर पर परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक आयोजन तथा कार्यान्वयन का राज्य स्तर पर समन्वय किया जाएगा।

अनुसूची -V के तहत संवैधानिक प्रावधान भी भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय जनसंख्या के विस्थापन के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, भूमि और इसका प्रबंधन, भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची - सूची II (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या (18) के तहत प्रदान किए गए राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

*****